

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज घनश्याम बनाम अशोक कुमार 234 / 18 (आरसीएमएस नं. 2018 / 00171) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|---|
| 02.07.19 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो करने बाबत पेश किया जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई उन्होंने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर विद्धो करना चाहते है और प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर विद्धो करवाना चाहता है, विद्धो आदेश प्रदान करें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को विद्धो करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य नही है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट विद्धो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे एवं बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(के०सी०वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर</p> | |